

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध 01-218/2022 — 651(17) पटना, दिनांक : 17/06/2025

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक/चिकित्सा पदाधिकारी को आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक स्तम्भ-03 में अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम एवं पदनाम	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम
1	2	3
01	डा० राजीव रंजन सिन्हा, प्राध्यापक, बायोकेमिस्ट्री विभाग	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
02	(i) डा० (श्रीमती) रेखा झा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (ii) डा० अजय कुमार सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर
03	(i) डा० बिपुल कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (ii) डा० प्रवीण कुमार अग्रवाल, जेनरल सर्जन	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
04	डा० रेशिता, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा
05	(i) डा० दिवा कांत मिश्रा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (ii) डा० संजय कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया
06	(i) डा० प्रिय रजन भास्कर, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (ii) डा० अंजनी कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
07	डा० दिनबन्धु प्रसाद, निश्चेतक	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ
08	डा० अनुपम कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर
09	डा० निर्मला कुमारी, निश्चेतक	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा (सारण)

[Handwritten Signature]

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में उपाधीक्षक के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सक शिक्षक/चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो तो, इस हद तक सशोधित समझे जायेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०- 17/विविध 01-218/2022 - 651(17) पटना, दिनांक :- 17/06/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

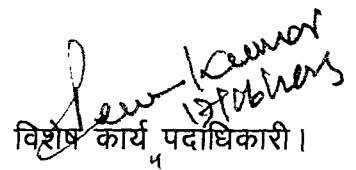
प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षक एवं चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09, 17 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।